

<div style="text-align: right;">           अहक            हुकम            में जारी         </div> तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.03.25	<p>           प्रकरण संख्या 85/प्रा0प0/2024            बउनवान जोधराज भीणा बनाम मुकेश वगै            पत्रावली आज निर्णय सुनाए जाने हेतु पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपरिथत            निर्णय संक्षिप्त में निम्न प्रकार है-         </p> <p style="text-align: center;"><u>निर्णय</u></p> <p>           प्रार्थी अधिवक्ता ने दोराने बहस कथन किया कि वाद विषयक कृषिभूमि खसरा            संख्या 468 रकबा 3.2800है0 वाके ग्राम लबान राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी संख्या            1 लगायत 4 का हिस्सा 1/20-1/20 हिस्सा दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1,2 ने            अप्रार्थी संख्या 3,4 की सहमति से उक्त कृषिभूमि में से 7बीघा भूमि दिनांक 23            04.2024 को प्रार्थी को 4,25,000रु में रहन रखकर प्रार्थी को कब्जा सम्मल            दिया था। यह इस शर्त पर रखी गयी थी प्रार्थी की रकम का ब्याज नहीं होगा            और अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की भूमि का ज्वारा नहीं होगा एवं यह इकरार            किया था कि अक्षय तृतीया के दस दिन पूर्व प्रार्थी को उसकी रकम अदा कर            रहन विषयक भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लेंगे। प्रार्थी दिनांक 23.04.2024 से ही            उपरोक्त रहनशुदा 7बीघा भूमि पर काबिज काशत चला आ रहा है। अप्रार्थी            संख्या 1,2 ने रहन की अवधि में उक्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 5 रामावतार को            बैचान कर उसके पक्ष में दिनांक 27.06.2024 को विक्रय पत्र उपपंजीयक            कार्यालय लाखेरी के यहां निष्पादित करवा लिया जो गैरकानूनी व प्रार्थी के            हितों एवं अधिकारों के प्रति प्रतिकूल है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 रहन की            गयी भूमि पर से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है इसलिए अप्रार्थिगण            को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का            प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थिगण को जयें अस्थाई निषेधाज्ञा से            पाबंद फरमाया जावे।         </p> <p>           हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना एवं बहस            पर मनन किया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। पत्रावली में            उपरिथत जमाबंदी सम्वत् 2072-2075 खाता संख्या 306 खसरा संख्या 468            रकबा 3.2800है0 वाके ग्राम लबान तहसील इन्द्रगढ़ में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत            4 बतौर सहखातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/20            निहित है। उक्त वाद विषयक भूमि के अन्य भी सहखातेदार है जिन्हे प्रार्थी द्वारा            प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। उक्त वाद विषयक भूमि की इस            जमाबंदी में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 2 का 1/20-1/20हिस्से पर पूर्ण खाते            पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा लबान के नाम रहन दर्ज है। प्रार्थी ने यह कथन            किया है अप्रार्थी संख्या 1,2 ने दिनांक 23.04.2024 को वाद विषयक भूमि में            निहित अपने हिस्से की 7बीघा भूमि को 4,25,000रुपये में प्रार्थी को रहन कर            कब्जा सुपुर्द किया गया था जिस आधार पर वह आज भी उक्त भूमि पर काबिज            है। पत्रावली में उपरिथत दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अनरजिस्टर्ड         </p>	

सुपखण्ड अधिवक्ता  
 लाखेरी (बड़ौदा)

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

इकरारनामों के आधार पर उक्त भूमि को स्वयं के पास रहन रखा है जिसके इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में नहीं कराया गया है। वाद विषयक भूमि की प्रस्तुत जमाबंदी से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1,2 की उक्त भूमि पूर्व में ही बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा लबान के नाम रहन दर्ज थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 में एक बार भोगबंधक करने के बाद, उस भूमि का दुबारा भोगबंधक पहले बंधक भोगबंधक की अवधि समाप्त हो जाने की अवधि समाप्त हो जाने की दिनांक से अगले 2वर्ष के भीतर नहीं कर सकेगा। प्रार्थी का उक्त भूमि का बैंक के नाम रहन दर्ज होने की जानकारी के बावजूद भी उक्त भूमि को अपने पास रहन की गयी जो कानूनन सम्मत नहीं है। भू अभिलेख नियमों के नियम 132 के अनुसार तथा सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम की धारा 59 के अनुसार बंधक की राशि 100रु या उससे अधिक हो, तो बंधक पत्र की रजिस्ट्री करवाना आवश्यक है। चूंकि उक्त भूमि में अन्य भी सहखातेदार हैं जिनको उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है जो आवश्यक पक्षकार थे। उक्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 1,2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 5 रामावतार को जर्ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.06.2024 को बैचान किया गया है। प्रार्थी का उक्त अनजिस्टर्ड इकरारनामों के आधार पर उक्त प्रश्नगत भूमि पर कोई स्वामित्व एवं वैधानिक कब्जा प्राथमिक दृष्ट्या प्रमाणित नहीं होता है। हम रिकॉर्डेड सहखातेदार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के विरुद्ध प्रार्थी के पक्ष में किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना बावत् अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर पत्रावली फौसल शूमार हो बाद पूर्ति दाखिल दफतर हो। यह निर्णय आज दिनांक 12.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
लाखेरी (बून्दी)